

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक-340/दो-22-2/2021

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 2025

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में इस स्थापना के दिवंगत कर्मचारी स्व० श्री अनिल श्रीवास्तव, भूतपूर्व स्टेनोग्राफर के आश्रित पुत्र को नीचे वर्णित तालिका अनुसार "भृत्य" के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-1 (वेतनमान 15600-49400) पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अस्थायी रूप से निम्नांकित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	आवेदक का नाम एवं पिता का नाम	आवेदक का पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4	5
1	श्री आदित्य श्रीवास्तव, पिता स्व० श्री अनिल श्रीवास्तव,	पता-फर्नीचर लाईन, आशीष प्लाईवुड के सामने, शनिचरी बाजार, बिलासपुर तह० व जिला-बिलासपुर (छ0ग0) 495001	अनारक्षित (मुक्त)	भृत्य

नियुक्ति की शर्तें :-

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
3. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
4. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
5. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 19-05-2025 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
9. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

5d/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0